न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मु0न0 13/2024 उनवान संतोष देवी बनाम कैलाश सिंह वगै0

संतोष देवी वगैरह वादी

बनाम

कैलाश सिंह वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :31.07.2025

न्यायालय हाजा द्वारा मु0न0 13/2024 उनवान संतोष देवी बनाम कैलाश सिंह वगै0 में वाद वादी दिनांक 19.12.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक मू. अ./2025/987 दिनांक 10.06.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम कुमास के भूमि ख.न. 681,681/819,681/820,689,689/817,689/818, 690/783,, 690/810,690/816, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
		ग्राम कुमास		
1	संतोष देवी पत्नी भगवान सिंह जांगिड जाति खाती सा. कुमास राहिन बीआरकेजीबी शाखा नूआं	689/817 मी0	0.9650	बा.2
	योग	किता 01	0.9650	—
2	कैलाश सिंह पुत्र कुरड़ाराम हि. 8/29 राहिन बीआरकेजीबी शाखा भीमसर,रामकरण सिंह पुत्र कुरडाराम हि. 8/29 राहिन बीआरकेजीबी शाखा भीमसर, विलादेवी पत्नी कुरड़ाराम हि. 16/145 राहिन बीआरकेजीबी शाखा भीमसर,सतपाल सिंह पुत्र मोहन हि. 39/145, हर्षिता पुत्री अन्नूकंवर हिस्सा 2/29 सा. देह खातेदार	681 681/819 681/820 689 689/818 689/817 मी. 690/783 690/810 690/816	1.50 0.40 0.10 0.06 0.20 0.0350 0.03 0.50 0.07	बा.2 बा.3 गै.मु. स गै.मु.स बा.2 बा.2 गै.मु.स बा.2 बा. 1

तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:–मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

प्राथमिक वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :–13/2024 (संतोष बनाम कैलाश आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू,मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2024 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम कुमास पटवार हल्का शेखसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि खाता संख्या नया 29 के खसरा नम्बर 681 रकबा 1.5000 हैक्टर, खं.नं. 681/819 रकबा 0.4000 हैक्टर, खं.नं. 681/820 रकबा 0.1000 हैक्टर, खं.नं. 689 रकबा 0.0600 हैक्टर, खं.नं. 689/817 रकबा 1.0000 हैक्टर, खं.नं. 689/818 रकबा 0.2000 हैक्टर, खं.नं. 690/783 रकबा 0.0300 हैक्टर, खं.नं. 690/810 रकबा 0.5000 हैक्टर, खं.नं. 690/816 रकबा 0.0700 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 3.8600 हैक्टर, का मौके एवं कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज रिकार्ड अनुसार रास्ता कायम करते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन करने आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार मण्डावा को 2000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मध्य सुविधानुसार खातेदारान का पृथक–पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.12.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा